पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल वांछित में कुल 18 अभियुक्त व एन0बी0डब्ल0ू में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 09–11–2022

दिनांक 08/09–11–2022 को रात्रि थाना चिनहट 05, थाना गौतमपल्ली 01, थाना गाजीपुर 02, थाना गोमतीनगर 07, थाना हजरतगंज 01, थाना सैरपुर 01, थाना ठाकुरगंज 01 व एन0बी0डब्ल0ू में थाना इन्दिरानगर 01, थाना गुडम्बा 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 18 अभियुक्त व एनबीडब्लू में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 पूर्वी

अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार।

पीजीआईः–दिनांक 09–11–2022 को एस0आई0 श्री धर्मपाल सिंह थाना पीजीआई लखनऊ द्वारा मय हमराही फोर्स के दौराने गस्त अभि0 1–अल्ताफ पुत्र स्व0 कलीम मूलनिवासीः–ग्राम महमूदाबाद थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर, हालपताः–सेक्टर–एफ जानकीपुरम थाना जानकीपुरम् लखनऊ को सेक्टर–08 शहीद पथ के किनारे से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 10 ग्राम अवैध स्मैक व 50/–रुपया नकद बरामद हुआ। इस सम्बन्ध में थाना पीजीआई पर मु0अ0सं0 651/2022 धारा 08/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

थाना बीबीडी–दिनांक 09.11.2022 को थाना बीबीडी द्वारा बताया गया कि स्टेशन मास्टर मल्हौर (उत्तर रेलवे) द्वारा थाना बीबीडी पर एक मेमो इश आशय का भेजा गया कि दिनांक 08.11.2022 को समय करीब 03.30 बजे सफेदाबाद–मल्हौर के बीच अप लाइन पर एक आदमी एकाएक आ जाने के कारण रन ओवर हो गया है, जिसकी डेड बाडी किमी संख्या 1080/21 से 1080/23 के मध्य में ट्रैक पर पड़ी है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री शशि कपूर मो0नं0 9956424269 थाना बीबीडी द्वारा की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक की शिनाख्त श्री सन्जू पुत्र श्री भागचन्द्र निवासी–भाटी माइन्स कालोनी थाना जौनापुर दिल्ली ने अपने चचेरे भाई बबलू उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र सोहन लाल निवासी–बी 492 भाटी माइन्स कालोनी थाना जौनापुर दिल्ली के रूप में की है। मृतक टेराखास जुग्गौर में रहकर मजदूरी करता था।

थाना पारा–दिनांक 09.11.2022 को थाना पारा द्वारा बताया गया कि वादी श्री कुलभूषण सरोज पुत्र स्व0 राजेन्द्र सरोज निवासी–सूर्यनगर निकट लखनऊ मंडल पब्लिक स्कूल इण्टर कालेज थाना पारा लखनऊ ने थाना पारा पर सूचना दिया कि दिनांक 08.11.2022 को समय करीब 03.00 बजे जब वादी अपने घर पर पढ़ाई कर रहा था कि तभी अचानक उसे बाहर तेज–तेज आवाजें सुनाई दीं तो वादी ने बाहर निकलकर देखा तो पड़ोस में रहने वाली मीनू कुमारी चौबे को तरूणेश यादव, आदर्श यादव, हनी यादव, अमरेश यादव सौनिका यादव व 04 से 05 अन्य अज्ञात लोग मिलकर मारपीट रहे थे। वादी मीनू कुमारी को बचाने के लिए चिल्लाने लगा तो उक्त सभी विपक्षियों ने वादी को जातिसूचक गाली देते हुए कहा कि हमारे मामले में रोड़ा बन रहा है, पहले इसे जान से मार दो। उपरोक्त लोगों ने वादी का हाथ पकड़कर अपने घर में ले जाकर बुरी तरह से लाठी डण्डों से मारा पीटा और एक राय होकर भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। इस सूचना पर थाना पारा पर **मु0अ0सं0 524/2022 धारा 147/323/504/506 भादवि व धारा 3(1)(द)/3(1)(ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट** को अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।